बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांकः–........01.2016

प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त है; के प्रतिनियुक्ति के संबध में कोई प्रक्रिया अथवा नीति पूर्व से निर्धारित नहीं रही है। फलतः पूर्व में इनकी प्रतिनियुक्ति कतिपय दिनों के लिए तत्पश्चात कतिपय महीनों के लिए की जाती रही है। वर्तमान में प्रचालित परंपरा के अनुसार इनकी प्रतिनियुक्ति तीन महीनों के लिए की जाती है।

चूंकि प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, को राजस्व संग्रहण कार्य हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है, ऐसी स्थिति में भविष्य में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के लिए निम्नवत् दिशा–निदेश दिया जाता है :–

1. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक चार माह पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी।
2. विशेष परिस्थिति में प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रधान सचिव की अनुमति से की जाएगी जिसमें विशेष परिस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ऐसी प्रतिनियुक्ति को सरकार के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा।
3. विभागीय चेकपोस्टों पर तीन पालियों हेतु कम से कम तीन–तीन प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
4. वैसे जिले जो जी0टी0 रोड अथवा राष्ट्रीय उच्य पथ से जुड़े है, उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
5. वैसे जिले जहां वाहनों का निबंधन एवं राजस्व संग्रहण अधिक होता है, उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
6. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार चार महीनों के लिए की जाएगी, जो माह के प्रथम कार्य दिवस से प्रभावी होगा।
7. नई प्रतिनियुक्ति के समय गत प्रतिनियुक्ति स्थान पर प्रवर्तन निरीक्षको/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा की गयी राजस्व संग्रहण की उपलब्धि ध्यान में रखी जाएगी।
8. नयी प्रतिनियुक्ति के समय प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के विरूद्ध प्राप्त आरोप, परिवाद पत्र, जॉच प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक/अनुशासनिक आधार पर की जाएगी।
9. महिला प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष की होगी एवं यथासंभव उनसे प्राप्त विकल्प (option) के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।
10. प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आधार जिला होगा। अर्थात एक जिले में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की अगली बार उक्त जिला से बाहर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

E:\Kaminin\Sankalp

11. संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र की मासिक प्रगति एवं अनुपस्थिति प्राप्त की जाएगी। इससे जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।

आदेशः— इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में जन–साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाय तथा सभी संबंधित को इसकी सूचना दी जाय।

ह0/–
(सुजाता चतुर्वेदी),
सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–07/स्था (नियुक्ति)–14/2013 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संकल्प की 200 प्रतियाँ परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुजाता चतुर्वेदी)
सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–07/स्था (नियुक्ति)–14/2013 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी, जिला परिवहन पदाधिकारी/ प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुजाता चतुर्वेदी),
सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–07/स्था (नियुक्ति)–14/2013 540 दिनांकः– 01/02/2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

28.1.16
(सुजाता चतुर्वेदी),
सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\Kaminin\Sankalp